

&gt;

Title: Introduction and Passing of the Appropriation Bill, 2021.

**माननीय अध्यक्ष:** आइटम नम्बर 19, माननीय मंत्री जी ।

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR):** Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2020-21.

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुरःस्थापित करें ।

**SHRI ANURAG SINGH THAKUR:** Sir, I introduce\* the Bill.

**माननीय अध्यक्ष:** आइटम नंबर – 20, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ।

**SHRI ANURAG SINGH THAKUR :** Sir, I beg to move:

“That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2020-21, be taken into consideration.”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

**SHRI ANURAG SINGH THAKUR:** Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।